

बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020



अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा मुद्रित

2020

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020

विषय-सूची

खंड ।

1. सक्षिप्त नाम, विरतार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषा ।
3. विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण ।
4. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2020

कुछ अधिनियमों में समय-सीमा की अवधि से संबंधित प्रावधानों का शिथिलीकरण करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3). यह दिनांक 20 मार्च, 2020 के प्रभाव से लागू माना जायेगा।

2. परिभाषा।—(1) इस अधिनियम में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "विनिर्दिष्ट अधिनियम" से अभिप्रेत है— बिहार वित्त अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम, 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम, 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम, 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम, 16/1993), बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम, 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।] बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम, 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम, 4/2018)

(2) यहाँ प्रयुक्त किए गए वैसे शब्द और अभियक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, लेकिन वे विनिर्दिष्ट अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ उस अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट अर्थ के अनुकूल होंगे।

3. विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण।—जहाँ कहीं भी विनिर्दिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कार्रवाइयों को पूरा करने या अनुपालन करने के लिये किसी समय-सीमा को निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया हो, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 के दौरान पड़ता हो—

(क) विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी ग्राधिकारी या न्यायाधिकरण, आहे जिस नाम से जाना जाए, के द्वारा किसी कार्रवाई को पूरा करने या किसी आदेश को पारित करने या किसी नोटिस, सूचना, अधिसूचना, रखीकृति या अनुमोदन का निर्गमन या इस तरह की कोई कार्रवाई चाहे जिस नाम से जाना जाए; या

(ख) विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अपील, जवाब या आवेदन फाईल करना या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, स्टेटमेंट या अन्य ऐसे अभिलेख, चाहे जिस नाम से जाना जाए, को प्रस्तुत करना,

और जहाँ ऐसी कार्रवाई को पूर्ण या अनुपालित ऐसी समय-सीमा के भीतर नहीं किया गया है, तब ऐसी कार्रवाई को पूर्ण या अनुपालित करने लिये समय-सीमा, विनिर्दिष्ट अधिनियम में कुछ भी विहित होने के बावजूद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 या 31 दिसम्बर, 2020 के बाद ऐसी अन्य तिथि किन्तु 31 दिसम्बर, 2021, से अधिक नहीं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से, इस संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाय, तक विस्तारित होगी;

परन्तु राज्य सरकार विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने या अनुपालित करने के लिये अलग-अलग तारीखों को निर्दिष्ट कर सकती है;

परन्तु यह और कि ऐसी कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल नहीं होगी—

(i) विहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या विहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की फाईलिंग और निपटान या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन, या रद्दीकरण के लिए आवेदन की फाईलिंग और निपटान; या

(ii) विहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या विहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत किसी टैक्स इनवॉयस, इनवॉयस, रिटेल इनवॉयस, बिल, डेविट नोट या क्रेडिट नोट, चाहे जिस नाम से जाना जाए, का निर्गमन; या

(iii) विहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या विहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत दाखिल या प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक किसी रिटॉन को दाखिल या प्रस्तुत करना; या

(iv) किसी कर, व्याज, जुर्माना, फाईन या किसी अन्य राशि का भुगतान जो विहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या विहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत देय हो।

4. निरसन एवं व्यावृति।— (i) विहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अध्यादेश, 2020 (विहार अध्यादेश संख्या-10, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii). ऐसे निरसन के होते हुए, भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

वित्तीय संलेख

बिहार वित्त अधिनियम, 1981, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 एवं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों को वैशिक महामारी कोरोना के कारण विहित समय-सीमा के अन्तर्गत पूरा नहीं किया जा सका है। इस हेतु इन अधिनियमों के अन्तर्गत निष्पादित की जाने वाली कार्यवाहियों की समय-सीमा 31 दिसम्बर, 2020 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

इस हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों (GST को छोड़कर) की समय-सीमा में शिथिलीकरण करता आवश्यक है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सुशील कुमार भोदी),
भार-साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

विधिवक महानारी (कोरोना) के फलस्वरूप लागू किये गये लॉकडाउन के कारण वाणिज्य—कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों (GST के अलावा) के अतर्गत करिपय कार्यवाहियों को विहित समय—सीमा के अन्तर्गत पूरा नहीं किया जा सका। अतः इन अधिनियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु इनकी समय—सीमा को दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(सुशील कुमार मोदी),
भार—साधक सदस्य।